न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्याः 187/2025 एल.आर.एक्ट GCMS No. 2025/247

1. भूप सिंह पुत्र हरचन्द जाति बिश्नोई साकिन चक 26 बी.बी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

— अपीलान्ट्स

बनाम

1. बलदेव पुत्र खेताराम पुत्र रूपाराम जाति मेघवाल साकिन चक 26 बी.बी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. तहसीलदार, पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

— रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः श्री विजय कुमार पारीक — अभिभाषक अपीलांट
सुश्री संगीता गहलोत
श्री सत्यनारायण तिवाड़ी — अभिभाषक रेस्पोडेन्ट नं.1
श्री विनोद पुरोहित

निर्णय

दिनांक 27.04.2026

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर(सर्तकता) श्रीगंगानगर के के निर्णय दिनांक 16.09.2025 एवं तहसीलदार पदमपुर द्वारा दर्ज इंतकाल संख्या 621 दिनांक 12.11.2024 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादग्रस्त भूमि तहसील पदमपुर के चक 26 बीबी का मुरब्बा नंबर 7 का किला नंबर 16 ता 25 का 2.530 हैक्टयर भूमि अपीलांट के पिता हरचन्द द्वारा खरीद के आधार पर कब्जाकाश्त है। अपीलांट के पिता हरचन्द ने उक्त वादगत भूमि जरिये इंकरारनामा दिनांक 21.06.1963 से तत्कालीन खातेदार रूपाराम पुत्र किशनाराम से खरीदशुदा है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अंधिकारी पदमपुर ने वसीयत दिनांक 25.01.1984 के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में इंतकाल दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया। तहसीलदार पदमपुर ने उपखण्ड अधिकारी पदमपुर के उक्त आदेश दिनांक 25.01.1984 की पालना में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में इंतकाल संख्या 621 दिनांक 12.11.2024 दर्ज कर दिया। अपीलांट ने तहसीलदार पदमपुर द्वारा दर्ज इंतकाल संख्या 621 दिनांक 12.11.2024 के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सर्तकता) श्रीगंगानगर के समक्ष

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अपील प्रस्तुत की। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सर्तकता) श्रीगंगानगर ने अपने आदेश दिनांक 16.09.2025 द्वारा अपीलांट की अपील को खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सर्तकता) श्रीगंगानगर अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.09.2025 एवं इंतकाल संख्या 621 दिनांक 12.11.2024 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है।

2— विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी लिखित वहस में कथन किया है कि वादग्रस्त कृषि भूमि सन 1963 में जरिये इंकरारनामा हरचन्द द्वारा खरीद की गई थी। खरीद के समय से कब्जा काश्त हर चन्द का वदस्तूर चल रहा है। हरिजन से स्वर्ण को वेचवान की पावंदी धारा 42 सन 1964 से लागू हुई थी इस कारण अपीलांट के पिता के द्वारा खरीदशुदा भूमि पर हरीजन स्वर्ण का प्रावधान लागू ही नही होता है। वेचवान वैध था। उक्त भूमि बावत प्रकरण राजस्व मण्डल अजमेर में चल रहा है तथा अपीलाधीन भूमि राजस्व रिकॉर्ड व मौके की स्थिति यथावत रखने का स्थगन आदेश दिनांक 01.01.2026 से चल रहा है। राजस्व मण्डल अजमेर में प्रकरण जैरकार है, नकल स्थगन आदेश, नगल निगरानी, नकल फर्द अहकान पेश की जा रही है, इस कारण उक्त अपील में किसी भी स्तर पर अपीलांट के खिलाफ व इस भूमि वावत् आदेश पारित नही किये जा सकतें। वेचवानकर्ता द्वारा खरीददार हरचन्द के खिलाफ सैक्शन 175 टिनेन्सी एक्ट के तहत भूमि से वेदखल हेतु उपखण्ड अधिकारी श्री करणपुर के समक्ष वाद पेश किया था, वाद दिनांक 17.08.1965 को खारिज कर दिया था तथा कब्जा वैध माना गया था एवं एडवर्स पेजशन के आधार पर हरचन्द द्वारा दावा पेश किया गया था तथा दावे का निर्णय दिनांक 19.07.1976 को हरचन्द के पक्ष में हो चुका था तथा डिक्री पारित कर दी गई थी तथा इसके विरूद्ध रेस्पोडेन्ट के द्वारा रिव्यु पेश किया गया था वह भी दिनांक 10.08.1977 को खारिज हो चुका था तथा उक्त निर्णय के विरूद्ध राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी पेश की गई थी वह भी दिनांक 15.07.1982 को खारिज कर दी गई। रूपाराम द्वारा हरचन्द के विरूद्ध वेदखली का दावा भी पेश किया गया था जिस उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 30.05. 1988 को खारिज कर दिया गया था इस आदेश के विरूद्ध राजस्व अपील अधिकारी श्री गंगानगर के समक्ष अपील पेश की गई थी वह अपील भी दिनांक 03.01.1998 को खारिज कर दी गई थी। तमाम अदालतों के निणयों के बावजूद गुपचुप तरीके से अवैध दस्तावेज के आधार पर परिवार के सदस्यों को शामिल कर सहमति से खाता विभाजन करवा लिया, खाता विभाजन दिनांक 04.07.2024 को करवा लिया जिसके विरूद्ध प्रार्थिया ने राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष अपील पेश की, अपील निर्णय दिनांक 22.12.2025 को होने पर राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष मूल आदेश की निगरानी पेश की जा चुकी है जिसमें स्थगन आदेश पारित किया जा चुका है। मूल आदेश के विरूद्ध प्रकरण जैरकार है एवं पालना में दर्ज इंतकाल संख्या 621 तहसीलदार पदमपुर दिनांक 12.11.2024 के विरूद्ध भी

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

इस अदालत में अपील पेश की जा चुकी है। इस कारण रेस्पोडेन्ट का यह कथन है कि अपील आदेश की ना होकर एक्जीक्यूशन की अपील हुई है जो गलत है, दोनों आदेशों के विरूद्ध निगरानी व अपील पेश की गई है। हरिजन स्वर्ण का प्रकरण इस भूमि पर चस्पा ही नही होता है। सन 1964 ये लागू हुआ थां। इस संबंध में अभिभाषक अपीलांट ने न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी 2009 पेज नंबर 149 को अवलोकनीय बताया। जब भूमि का बेचवान सन 1963 में हो गया था तो सन 1984 में उसी भूमि की वसीयत की गई थी जो अवैध है, जब भूमि पूर्व में बेची जा चुकी थी तो उसी भूमि की वसीयत हो ही नही सकती। रेस्पोडेन्ट को बलदेव को उक्त भूमि में कोई अधिकार ही निहित नही हो सकते। इस कारण अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है। यह कि उक्त भूमि बाबत् प्रकरण में राजस्व मण्डल अजमेर का स्थगन आदेश है, किसी भी स्तर पर हायर कोर्ट का आदेश होते हुए उक्त अपील में अपीलांट के विरूद्ध निर्णय नही हो सकता है, रेस्पोडेन्ट की वसीतय अवैध है। हरीजन स्वर्ण का प्रावधान चस्पा ही नही होता है। भूमि सन 1963 से खरीदशुदा है, रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता द्वारा पेश की गई लिखित बहस खिलाफ रिकॉर्ड व खिलाफ कानून पेश की गई है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमावें तथा राजस्व मण्डल अजमेर के स्थगन आदेश की पालना की जावे।

3— विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी लिखित बहस में कथन किया है कि वादगत भूमि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदमपुर के आदेश दिनांक 04.07.2024 की पालना में इंतकाल संख्या 621 दिनांक 12.11.2024 को स्वीकृत किया गया। इंतकाल संख्या 621 किसी भी न्यायालय का स्वतंत्र आदेश नहीं था। इंतकाल संख्या 621 तहसीलदार पदमपुर द्वारा दिनांक 12.11.2024 को स्वीकृत किया गया वह उपखण्ड अधिकारी पदमपुर द्वारा प्रदत्त निर्णय 04.07.2024 के आधार पर स्वीकृत किया गया जिसकी प्रविष्ठी इंतकाल पर भी अंकित की गई इससे यह स्पष्ट था कि इंतकाल संख्या 621 मूल आदेश नहीं था। कानून का सर्वमान्य सिद्धांत है कि किसी भी मूल आदेश की अपील की जा सकती है। किसी आदेश या निर्णय की पालना में हुई किसी कार्यवाही की अपील कानून नही की जा सकती। अदालत मातहत के समक्ष अपीलांट भूपसिंह द्वारा इंतकाल संख्या 621 की अपील धारा 75 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट में की गई वह विधि विरूद्ध थी। जिसे खारिज करने में अदालत मातहत ने किसी प्रकार की कोई गलती नही की है इस बिन्दू पर नजीरात आरवीजे 2023 पेज नंवर 191, आरआरडी 1981 पेज नंवर 320 एवं आरआरडी 1981 पेज नंवर 723 अवलोकनीय बताया। उक्त वादगत भूमि के संबंध में उपखण्ड अधिकारी पदमपुर के समक्ष एक खाता विभाजन का दावा दिनांक 04.07.2024 को स्वीकार किया जाकर निर्णय रेस्पाडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में प्रदान किया गया। कानूनन उक्त निर्णय व डिक्री की अपील अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष की जा सकती थी। जो अपील राजस्व अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील संख्या 27/25 अनवानी राजेश

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

पत्र है। उक्त अपील में सभी पक्षों को सुनकर माननीय राजस्व अपील अधिकारी द्वारा दिनांक 22.12.2025 का अपील खारिज कर दी गई एवं उपखण्ड अधिकारी महोदय का निर्णय दिनांक 04.07.2024 यथावत रखा गया। न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी द्वारा प्रदत्त निर्णय की निगरानी संख्या 12655/625 अनवानी राजेश कुमार बनाम बलदेव राजस्व मण्डल में प्रस्तुत हो रखी है जिसमें दिनांक 01.01.2026 को विवादगत जमीन को उभय पक्ष मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति रखे जाने के आदेश प्रदान किये गये है। कानून का सर्वमान्य सिद्धांत है कि जब नियमित राजस्व वाद या उसकी अपीलय कार्यवाही किसी सक्षम न्यायालय में विचाराधीन हो तो उस निर्णय के आधार पर ही किसी व्यक्ति के खातेदारी व काश्तकारी अधिकारी तय हो सकते है। इस बिन्दु पर नजीरात आरआरटी 2008(1) पेज 228 एवं आरआरडी 2005 पेज नंबर 637 को अवलोकनीय बताया। श्रीमान जी के समक्ष द्वितीय अपील इंतकाल संख्या 621 को निरस्त किये जाने हेतु प्रस्तुत हुई है। इंतकाल की कार्यवाही एक वितीय एवं संक्षिप्त कार्यवाही है। इस प्रकार की किसी भी कार्यवाही में किसी भी व्यक्ति के अधिकार तय नहीं होते है। कानूनन जब नियमित राजस्व वाद विचाराधीन हो तो इंतकाल जैसी फिस्कल प्रोसिडींग को स्थगित रखा जाना विधि सम्मत होता है। इस कारण भी उक्त अपील चलने योग्य नहीं होने से खारिज योग्य हैं इस बिन्दू पर नजीरात आरआरडी 1986 पेज 590, आरबीजे 2021 पेज 670, आरबीजे 2022 पेज 370, आरआरडी 1992 पेज 360 एवं आरआरटी 2008 पार्ट 1 पेज 241 को अवलोकनीय बताया। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाकर अदालत मातहत द्वारा प्रदत निर्णय दिनांक 16.09.2025 को यथावत रखे जाने के आदेश प्रदान करें।

4— हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज, अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख का ध्यान पूर्वक अवलोकन तथा लिखित बहस एवं दौराने बहस उभय पक्ष पर मनन किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के दादा रूपाराम ने उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर के समक्ष जो दावा अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट दावा प्रस्तुत किया था वह उपखण्ड अधिकारी करणपुर ने अपने निर्णय दिनांक 29.07.1979 के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर के समक्ष पुर्नविचार प्रस्तुत किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के दादा रूपाराम द्वारा प्रस्तुत उक्त पुर्नविचार को भी उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर ने अपने निर्णय दिनांक 10.08.1977 द्वारा खारिज कर दिया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के दादा रूपाराम ने उक्त आदेश दिनांक 10.08.1977 के विरूद्ध रिवीजन राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष प्रस्तुत किया। राजस्व मण्डल अजमेर ने उक्त रिवीजन को भी खारिज कर दिया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के दादा रूपाराम द्वारा हरचन्द के विरूद्ध बेदखली का दावा भी पेश किया गया था जिस उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 30.05.1988 को खारिज कर दिया गया था इस आदेश के विरूद्ध राजस्व अपील अधिकारी श्री गंगानगर के समक्ष अपील पेश की गई थी वह अपील भी दिनांक 03.01.1998 को खारिज कर दी गई थी। उक्त तमाम के निर्णय अपीलांट के पिता के पक्ष में

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदमपुर ने अपीलांट जो की हितवद्ध पक्षकार है उसे सुने बिना निर्णय दिनांक 04.07.2004 पारीत कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर ने निर्णय दिनांक 04.07.2024 में हितबद्ध पक्षकार है उसको सुना ही नही। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर ने निर्णय दिनांक 04.07.2024 पारित करते समय नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत audi alteram partem की पूर्णतः पालना नही करते हुए विधि एवं तथ्यों के विपरित जाकर आदेश जारी किया गया है। यदि मूल आदेश ही न्यायोचित नहीं है तो उसकी पालना में दर्ज इंतकाल भी न्यायोचित नहीं होता है। इसी प्रकार अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदमपुर की पालना में दर्ज का आदेश दिनांक 04.07.2024 ही उचित नही है तो उसकी पालना में दर्ज इंतकाल संख्या 621 दिनांक 12.11.2024 भी उचित नही हैं। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सर्तकता) श्रीगंगानगर ने निर्णय दिनांक 16.09.2025 करते हुए अंकित किया कि इंतकाल संख्या 621 दिनांक 12.11.2024 उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) पदमपुर द्वारा पारित निर्णय की रूह में प्रविष्ठ किया गया है जिसे सक्षम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है परन्तु यह अंकित नहीं किया की उपखण्ड अधिकारी पदमपुर का आदेश दिनांक 04.07.2004 न्यायोचित था या नही। फिर भी तहसीलदार पदमपुर द्वारा दर्ज इंतकाल संख्या 621 दिनांक 12.11.2024 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नही करते हुए उसे सही माना। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सर्तकता) श्रीगंगानगर का अपीलाधीन आदेश भी न्यायोचित नहीं हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर(सतर्कता) श्रीगंगानगर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.09.2024 एंव तहसीलदार पदमपुर द्वारा दर्ज इंतकाल संख्या 621 दिनांक 12.11.2024 निरस्त किया जाता हैं।

5— तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 27.04.2025 का लिखिवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर